न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 89/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

आरआरसीएमएस नम्बर : 2025/311

उनवान

1. श्री संजय पिता भंवरलाल जैन महाजन निवासी फतहनगर तहसील, मावली।

................प्रार्थी

बनाम

1. श्री कैलाशचन्द्र पिता भंवरलाल सेन निवासी फतहनगर तहसील, मावली।
2. श्री गणपतलाल पिता प्यारचन्द तातेड जाति महाजन निवासी फतहनगर तहसील, मावली।
3. श्री गोपाललाल पिता लाभचन्द तातेड जाति महाजन निवासी फतहनगर तहसील, मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)

...............विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री सोहनसिंह राणावत अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 18.05.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम फतहनगर पटवार हल्का, फतहनगर तहसील मावली की आराजी नम्बर 407, 408, 777/402 किता 3 कुल रकबा 0.1861 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदार की हेसियत से दर्ज है। अप्रार्थी उक्त आराजियात के पडोसी होकर प्रार्थी अपनी आराजियात पर काबिज काश्त होकर आये दिन पडोसी से रकबे की कमी बेशी व सीमा जानकारी को लेकर विवाद होता रहता है तथा अप्रार्थी आये दिन प्रार्थी की उक्त आराजियात में अतिक्रमण करते रहते हैं तथा मना करने पर विवाद करते है। ऐसे में मुझ प्रार्थी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना आवश्यक हो गया है। अंत में निवेदन किया की मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगड़ी किये जाने का आदेश तहसीलदार मावली को प्रदान करें।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 4 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 से 2 तक के सम्मन पूर्व में बाद तामील प्राप्त होकर शा.फा. है। विपक्षी संख्या 1 से 2 को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 3 ने स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर आदेशिका में अंकित किया हैं कि पत्थरगढ़ी की जाती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि ग्राम फतहनगर पटवार हल्का, फतहनगर तहसील मावली की आराजी नम्बर 407, 408, 777/402 किता 3 कुल रकबा 0.1861 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजी में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण कब्जा प्राप्त करने संबंधी नही है। केवल मात्र प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। साथ ही उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : आदेश : :

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का, फतहनगर तहसील, मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 184 पर दर्ज आराजी नम्बर 407, 408, 777/402 किता 3 रकबा 0.1861 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन कर चारों दिशाओं की सीमाओ की पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व प्रार्थी, विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगढ़ी प्रार्थी, विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगढ़ी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगढ़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने या जबरन कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नही करें। पत्थरगढ़ी करने के पश्चात मौके पर उभय पक्षो का कब्जे संबंधी विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर